न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2017 प्रार्थना पत्र वाजदायरी

आम जनता गिरधरपुरा जरिये
1. कमलसिंह पुत्र गिर्राज
2. सुमेर सिंह पुत्र रामहेत
3. सियाराम पुत्र जयसिंह
4. महेश पुत्र हजारी
5. सुरज्ञान सिंह पुत्र भगवानसहाय
6. शेरसिहं पुत्र श्योदान
7. लाखन पुत्र रामकिशोर
8. कैलाशी पत्नि सुरेश
9. नाथूसिंह पुत्र विजयसिंह
10. सुरजन पुत्र रामसहाय

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. उगन्ती पत्नि रामरतन जाति गुर्जर निवासी गिरधरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा
2. सहायक कलक्टर बांदीकुई
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा
4. अंगूरी पत्नि सुमेरसिंह पुत्री पूर्णसिंह जाति गुर्जर निवासी सुमेरकलां तहसील बसवा
5. तहसीलदार बसवा एवं उप पंजीयक बसवा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाजदायरी बाबत प्रकरण प्रार्थना पत्र अ. धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई करने।

उपस्थिति : श्री मिट्ठनलाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

—: निर्णय :—

दिनांक : 17.05.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 08/2017 प्रार्थना पत्र वाजदायरी

संक्षिप्त में वाजदायरी प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र 14(4) उनवानी आम जनता गिरधरपुरा बनाम उगन्ती वगैरा दिनांक 09.04.2015 को अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया था। दिनांक 12.01.2017 को प्रार्थीयान को प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी होने पर प्रार्थीयान ने आदेश की नकल प्राप्त की और वाजदायरी प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश किया गया है। साथ ही देरी क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई कर मैरिट पर निर्णित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की प्रार्थीयान की ओर से उनवानी प्रकरण 14(4) में अधिवक्ता प्रार्थीयान न्यायालय में हाजिर होकर पैरवी करते थे। अधिवक्ता प्रार्थीयान को आश्वासन दे रखा था कि जब भी प्रकरण का निर्णय होगा तो वे सूचित कर देंगें। प्रकरण से सम्बन्धित अन्य तीन पत्रावलीयां एक ही तारीख पेशी पर लगातार चल रही थी, किन्तु उक्त उनवानी प्रकरण की तारीख पेशी भिन्न हो जाने के कारण से अधिवक्ता प्रार्थीयान उक्त निर्णय दिनांक 09.04.2015 को उपस्थित नही हो सके। जिससे प्रकरण अदम हाजरी मे खारिज करने की जानकारी प्रार्थीगण को नही हो सकी। प्रार्थीगण दिनांक 12.01.2017 को अधिवक्ता से मिलने पर प्रार्थीयान को प्रकरण खारिज होना अवगत कराने पर प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना पत्र वाजदायरी मय प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए, प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) उनवानी आम जनता गिरधरपुरा बनाम उगन्ती वगैरा प्रकरण सं. 18/2014 दिनांक 09.04.2015 को अदम हाजरी में माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र वाजदायरी दिनांक 10.02.2017 को पेश किया गया है। इतनी लम्बी अवधि पश्चात प्रार्थना पत्र वाजदायरी प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य पूर्ण कारण प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र वाजदायरी के संलग्न प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम खारिज फरमाते हुए, प्रार्थना पत्र वाजदायरी खारिज फरमावे।

अति० जिला कलक्टर
गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 08/2017 प्रार्थना पत्र वाजदायरी

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वाजदायरी अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है तथा विलम्ब से पेश किये जाने के सम्बन्ध में कोई औचित्य पूर्ण तथ्य भी प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। जिसके परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र वाजदायरी भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official